न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00054RAAJodhpur2019-20 RTA223 Brijlal ors Vs Mss. Maitray etc

01. बृजलाल पुत्र श्री हीराराम जी
02. मुकनाराम पुत्र श्री भोजाराम जी
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम मानेवडा,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मैसर्स मैत्रेय प्लांटर्स एण्ड स्ट्रक्टचर्स प्रा.लि. मैत्रेय भवन, 34 जरिये नितिन पुत्र श्री बालकिशन ताण्डेल, जाति हिंदु मंगेला, निवासी- नयापुरा, बिरार वेस्ट पोस्ट आगासी, तहसील वसई, जिला ठाणे(मुम्बई)
2. ग्राम पंचायत कानसिंह की सिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
3. तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 जून 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व मूल वाद संख्या 351/2013 बृजलाल व अन्य बनाम मैसर्स मैत्रेय इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 24 अगस्त 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 351/2013 बृजलाल व अन्य बनाम मैसर्स

24.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मैत्रेय इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 फरवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 891/4 रकबा 229 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भोमजी का गांव के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जून 2017 को वाद खारिज कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय बिना किसी कारण दिये पारित किया गया है जो निर्णय बिना किसी कारण के पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना बिना ही पत्रावली का निस्तारण किया है, जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारण नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद विद्वान अधिकारी द्वारा बिना किसी सुनवाई के ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य की अनदेखी की गई है कि सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। दण्डित

24.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर.

कार्यवाही लंबित है, जिसमें चार्जशीट प्रत्यर्थी संख्या एक के विरूद्ध प्रस्तुत हो रखी है, इसलिए वाद को खारिज करने का आधार पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जिसकी जानकारी समुचित समय में अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी था। राजस्व अदालतों के कैम्प खत्म होने पर जब अपीलार्थीगण द्वारा तारीख पेशी का पता किया गया तो बताया गया कि पत्रावली मिली नही है, बाद में पता कर लेना जिसका लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वर्तमान में पता चला कि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आवेदन किया गया, जो नकल तैयार होकर दिनांक 25.01.2019 को प्राप्त हुई। जिसे पढने पर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 351/2013 बृजलाल व अन्य बनाम मैसर्स मैत्रेय इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 जून 2017 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

24.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक पत्रावली विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 केम्प घटोर में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने बाबत लिखी गई आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने की सूचना बाबत पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाने बाबत भी पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख अथवा नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं हैं।

विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण की तामील करवाये बिना, जवाब प्रस्तुति बाद विवाधकों की विरंचना एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा

24.0.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मूल वाद संख्या 351/2013 बृजलाल व अन्य बनाम मैसर्स मैत्रेय इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 जून 2017 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारान् पर सम्मन की सम्यक तामील करवाते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया का अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.8.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर